

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 356/2025

हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ(राज.)

-वादी

बनाम्

बलजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ(राज.)

सुरजजीत कौर पुत्री श्री दर्शन सिंह पत्नी श्री सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी  
नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) हाल आबाद मोटा पन्नीवाला तहसील  
व जिला सिरसा(हरि.)

गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ(राज.)

अमृतपाल सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ(राज.)

शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ(राज.)

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- प्रतिवादीगण

हपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट  
प्रतिवादीगण सं.1ता4 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 4.8.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण  
मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4  
लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

निम्न जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक 4 एन.के.आर. ए के खाता सं. 28/26 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073(जमाबन्दी 2078) में दर्शन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह के नाम दर्ज आराजी का तथा इसी चक के खाता सं. 90/67 खाता गुरप्रेम सिंह वगैरा में प्रतिवादी सं. 3 गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खातों में से दर्शन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह तथा प्रतिवादी सं. 3 गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी का खाता दावा की दफा 5 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर चक 4 एन.के.आर. ए के खाता सं. 28/26 खाता अमृतपाल सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073(जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 2.277 है. आराजी में से 1.139 है. आराजी वादी हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम तथा उक्त खाता की शेष 1.138 है. आराजी प्रतिवादी सं. 4 अमृतपाल सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से दर्शन सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 90/67 खाता गुरप्रेम सिंह वगैरा में दर्ज कुल 0:506 है. आराजी वादी के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 3 गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया जावे। इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे। दावा की दफा 5 निम्न प्रकार से है:-

वादी हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का हिस्सा:-

चक 4 एन.के.आर. ए खाता सं. 28/26

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/140	23	13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.114 है., 15/2/0.013 है.गै.मु. खाला, 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.गै.मु. खाला, कुल 0.886 है. मय गै.मु.,
150/140	22	11/0.253 है., कुल 0.253 है.

लगातार --3

महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

चक 4 एन.के.आर. ए खाता सं. 90/67

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/141	34	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.गै.मु. खाला, 5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. खाला, 5/3/0.026 है. गै.मु. खाला कुल 0.506 है. मय गै.मु.

प्रतिवादी सं. 4 अमृतपाल सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह का हिस्सा:-

चक 4 एन.के.आर. ए खाता सं. 28/26

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/140	23	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.गै.मु. खाला, 7,8,0.253 है.प्र.,15/3/0.0114 है., 15/4/0.012 है.गै.मु. खाला, कुल 0.885 है. मय गै.मु.,
150/140	22	10/0.253 है., कुल 0.253 है.

निज .......... निल .......... मुब्लिक ..........निल .......... बाबत .....  
..........निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 4.8.2025 को  
जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
उपखण्ड गण्डिया,  
संगरिया